

जिला अभियोजन कार्यालय, मुजफ्फरपुर

E-mail-dpomuz@gmail.com

क्र० सं० - 7767

पत्रांक 9101/जि० अभि०

दिनांक 28/02/20

सेवा में,

अध्यक्ष S.K.M.C.H
मुजफ्फरपुर

प्रसंग -

1276/20
28/3/2020

1. जी० आर० संख्या - 2382/11
2. थाना काण्ड संख्या - कोटवागंज - 223/11 9/11/11
3. टी० आर०/एस० टी० आर -

राज्य बनाम परवज डालम

विषय:- साक्ष्य/वस्तु प्रदर्श उपस्थापित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषयक संबंध में अवगत कराना है कि प्रासंगिक काण्ड में साक्षियों का साक्ष्य

अतिआवश्यक है। साक्ष्य के अभाव में काण्ड विफल होने की सम्भावना है

अतः अनुरोध है कि, निम्नलिखित अभियोजन साक्षियों/ प्रदर्श को न्यायालय

श्री J.J.B मु०न्या०द०/अपर मु०न्या०द०/ न्या०द०प्रथम/
द्वितीय श्रेणी/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में
दिनांक 30/3/20 को 10.00/ 07.00 बजे प्रातः उपस्थापित कराने का निर्देश दिया जाय।

अभियोजन साक्षियों / प्रदर्श का विवरण :-

1. डा० विनोद कुमार M.B.B.S M.D. निजिहा पट्टा S.K.M.C.H मु०-मु०

नोट- इस मामले में साक्ष्य अतिआवश्यक है माननीय न्यायालय द्वारा सम्बन्धित निर्देश दिया जा चुका है अतः साक्ष्य हेतु उपस्थापित के लिए आदेशित करने की इच्छा है।

श्री सुमान जे जी

R-264/20
23.24

अभियोजन कोषांग
दरिय पुलिस अधीक्षक कार्यालय
मुजफ्फरपुर

विश्वासभाजन

28/3/20

DPO/SDPO(SG)/SDPO/APO
MUZAFFARPUR